

3

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, दुमका

राजकुमार मिस्त्री
अधीन
16 आग्रा रजिस्ट्रार
(स्थायी रूप से दण्डाधिकारी)
दुमका

फारम सं० 5651
बोर्ड फारम सं० 508

(बोर्ड के आदेश सं० 4116वी ता० 12-8-11 में अनुमोदित)

संयुक्त मुख्य-पृष्ठ और पत्रावरण

(देखें नियम 127 अभिलेख हस्तक 1911)

.....विभाग

7

(पहला पन्ना)

केस नं० SR case no 68 वर्ष 05-06 रजिस्टर सं०

इस्टेंट परगना तौजी सं०

अर्जीकार -

प्रतिपक्षी

अधिनियम सं० वर्ष के अधीन

निर्णय की तारीख अभिलेखागार में प्राप्त होने की तारीख

क्र० सं०	कागज का वर्णन	किस तारीख को फाइल किया गया	पन्नों की संख्या	स्टाम्पों का मूल्य	कागज की श्रेणी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

आदेश की क्र०
सं० और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश
की
कार्रवाई

22.3.22

अभिलेख उपरवापिस /

आवेदन अनुपरिचय / अभिलेख दिनांक
22.4.22 को रखे।

श्रीमि सुभाष उपरवापिस

उत्तरा

22.4.22

अभिलेख उपरवापिस /

आवेदन अनुपरिचय / अभिलेख दिनांक
3.6.22 को रखे।

श्रीमि सुभाष उपरवापिस

उत्तरा

3.6.22

अभिलेख उपरवापिस /

आवेदन अनुपरिचय / अभिलेख दिनांक
26.7.22 को रखे।

श्रीमि सुभाष उपरवापिस

उत्तरा

26.7.22

अभिलेख उपरवापिस /

अभिलेख का अवलोकन किया। स्पष्ट है
कि उपरवापिस लगाकर अनुपरिचय है जिससे
पता होता है कि उपरवापिस की वाक की
कार्ड में कोई अभिलेखी नहीं है।
सामयिक वाक की कार्ड करने का
कोई औचित्य नहीं होता है।
अतः उपरवापिस के वाक की कार्ड
में कोई अभिलेखी नहीं होने के
कारण वाक की कार्ड समाप्त
की जाती है।

अभिलेख दिनांक

श्रीमि सुभाष उपरवापिस

उत्तरा

श्रीमि सुभाष उपरवापिस

उत्तरा

26.07.2022